

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निराले अनुसार

महोदयजी, प्रार्थी द्वारा उस्तुत इस्तावेज आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर भरतलाल उ रामजीलाल के बजाय भरतसिंह उ रामजीलाल किया जाना उचित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्षितानुसार आवेदक का नाम उरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम उरुस्त किया जाने की अतिशंका की जाती है /नहीं की जाती है।

उरुस्त उचित है

14/12/21
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 14-12-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट को आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	जोधपुरा	2075-78	142	भरतलाल उ रामजीलाल	भरतसिंह उ रामजीलाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उरुस्त
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14.12.2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/2179

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वारंती पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचना
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी